

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 111/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि. सादना हाउस द्वितीय फ्लोर 570, पी. वी. मार्ग, चर्ला, मुम्बई
शाखा कार्यालय 46, 47 श्रीनाथ टावर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सीमा सोनी पत्नी श्री मनोज कुमार सोनी
2. मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री पूनम चन्द सोनी
निवासी प्लाट संख्या बी-28, सत्यनगर, झोटवाडा, जयपुर
दूसरा पता प्लाट नं. 227 फ्लैट नं. 204, प्रथम तल, रेल्वे आसफिस कालोनी, कनकपुरा के
सामने, सिरसी रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री लोकेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

ओदश

दिनांक 18.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 30.09.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सीमा सोनी पत्नी श्री मनोज कुमार सोनी के स्वामित्व सम्पत्ति प्लाट नं. 227 स्थित फ्लैट संख्या 204, प्रथम तल, रेल्वे आफिसर्स कालोनी, कनकपुरा के सामने, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 650 वर्गफिट को बन्धक रख कर 12,10,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.06.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मद्य ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी ने दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित होकर राशि जमा कराने के लिए अवसर चाहा । इसके पश्चात आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुई।

3. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015, से क्रम संख्या 17 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ऋणी ने दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित होकर बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा था जिसको काफी समय हो चुका है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी बैंक का कथन है कि अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 12,10,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,80,191/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.06.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।



- अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सीमा सोनी पत्नी श्री मनोज कुमार सोनी के स्वामित्व सम्पत्ति प्लॉट नं. 227 स्थित फ्लैट संख्या 204, प्रथम तल, रेल्वे आफिसर्स कालोनी, कनकपुरा के सामने, सिरसी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 650 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
 8. आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/2/21
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर